अध्याय–I

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। जन कल्याण को ध्यान में रखते हुये राजकीय पीएसयू की स्थापना व्यावसायिक गतिविधियों को सम्पादित करने के लिये की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में औसत स्थान रखते हैं। 30 सितम्बर 2012 तक अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार राजकीय कार्यरत पीएसयू ने 2011–12 में ₹ 42,987.46 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त किया। यह टर्नओवर वर्ष 2011–12 के लिये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ₹ 6,87,836.28 करोड़ का 6.25 प्रतिशत था। राज्य के पीएसयू की अधिकांश गतिविधियाँ विद्युत क्षेत्र में केन्द्रित हैं। राज्य के कार्यरत पीएसयू ने अपने 30 सितम्बर 2012 तक अद्यतन लेखाओं के अनुसार 2011–12 के लिये कुल ₹ 6,489.58 करोड़ की हानि वहन करी। 31 मार्च 2012 को उनमें कम से कम 0.79 लाख[*] कर्मचारी कार्य कर रहे थे। राजकीय पीएसयू में छः विभागीय उपक्रम[♦] (डीयू) सम्मिलित नहीं हैं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं, परन्तु राजकीय विभागों के भाग हैं। इन डीयू से सम्बन्धित लेखापरीक्षा प्रेक्षण राज्य की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) में सम्मिलित हैं।

1.2 निम्न विवरणानुसार 31 मार्च 2012 को 128 पीएसयू थे। इनमें से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

पीएसयू का प्रकार	कार्यरत पीएसयू	अकार्यरत पीएसयू[∞]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[♥]	78	43	121
सांविधिक निगम	7	0	7
योग	**85**	**43**	**128**

1.3 वर्ष 2011–12 के दौरान, छः कम्पनियों, वेस्टर्न यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ ईस्ट यू. पी. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मेरठ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमन एवं एक कम्पनी[♠] का निजीकरण हुआ।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 से अधिशासित है। धारा 617 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी वह है जिसकी चुकता अँश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों के द्वारा धारित हो। सरकारी कम्पनी में सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम की धारा 619–बी के अनुसार ऐसी कम्पनी जिसकी चुकता अँश पूँजी का 51 प्रतिशत सरकार/सरकारों, सरकारी कम्पनियों और सरकार/सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा धारित हो, सरकारी कम्पनी मानी जाती है (डीम्ड सरकारी कम्पनी)।

1.5 राज्य की सरकारी कम्पनियों (जैसा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है), के लेखाओं की लेखापरीक्षा सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अनुसार भारत के

---

[*] 71 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार। शेष 57 सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

[♦] आयुक्त, खाद्य एवं रसद, गर्वमेंट प्रेस, स्टेट फार्मेसी ऑफ आर्युवेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन्स, उप–आयुक्त–पशुपालन, कृषि कार्यशाला और क्रिमिनल ट्राइब्स सेटेलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, कानपुर ।

[∞] अकार्यरत पीएसयू वो है जिन्होने अपने कार्य को बन्द कर दिया है।

[♥] 619–बी कम्पनियों सहित।

[♠] ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। इन लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा भी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अनुसार सीएजी के द्वारा की जाती है।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बन्धित विधानों से शासित होती है। सात सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, उत्तर प्रदेश वन निगम तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के सीएजी एकल लेखापरीक्षक है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम तथा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की लेखापरीक्षा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (2) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गई है।

राजकीय पीएसयू में निवेश

1.7 31 मार्च 2012 को, 128 पीएसयू (619–बी कम्पनियों सहित) में ₹ 97,867.69 करोड़ का निवेश था, जिसका विवरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का प्रकार	सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			महायोग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत पीएसयू	60617.05	34433.96	95051.01	601.30	1040.02	1641.32	96692.33
अकार्यरत पीएसयू	696.56	478.80	1175.36	--	--	--	1175.36
योग	**61313-61**	**34912-76**	**96226-37**	**601-30**	**1040-02**	**1641-32**	**97867-69**

राजकीय पीएसयू में सरकारी निवेश का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है।

1.8 31 मार्च 2012 तक राजकीय पीएसयू में कुल निवेश का 98.80 प्रतिशत कार्यरत पीएसयू में तथा शेष 1.20 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयू में था। इस सकल निवेश में से 63.26 प्रतिशत पूँजी के लिये तथा 36.74 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण हेतु था। निवेश 2006–07 के ₹ 28,950.50 करोड़ से 238.05 प्रतिशत बढ़कर 2011–12 में ₹ 97,867.69 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में प्रदर्शित है।

(₹ करोड़ में)

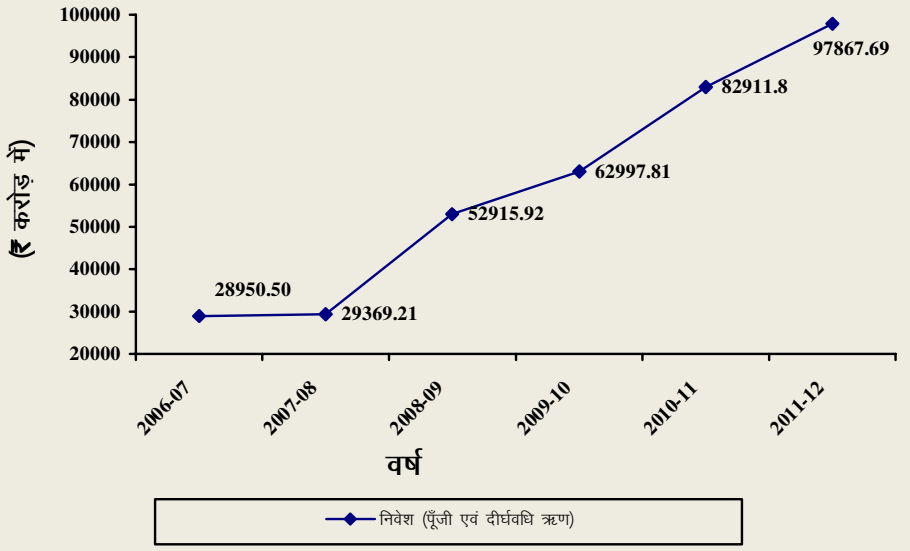

1.9 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनकी प्रतिशतता नीचे बार चार्ट में इंगित किये गये हैं। विगत पाँच वर्षों में पीएसयू में निवेश का मुख्य बल ऊर्जा क्षेत्र में था, जिसका प्रतिशत अंश 2006–07 में 78.36 प्रतिशत से बढ़कर 2011–12 में 93.38 प्रतिशत हो गया जबकि विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2006–07 में 10.14 प्रतिशत से घटकर 2011–12 में 3.65 प्रतिशत हो गया।

(₹ करोड़ में)

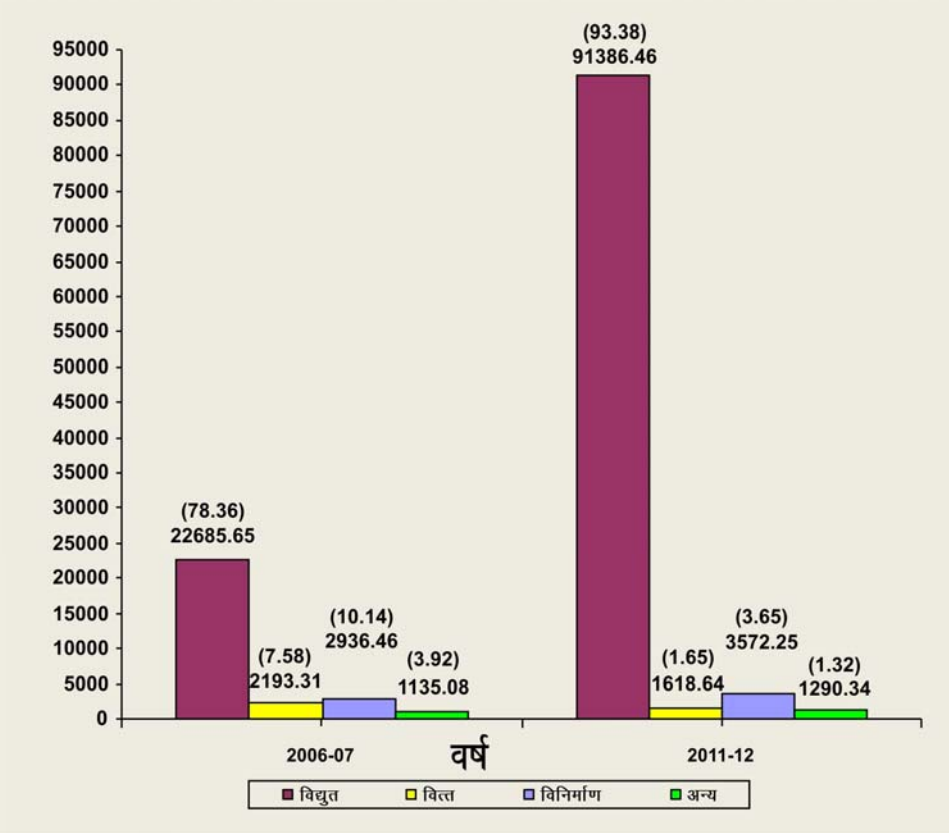

(कोष्ठकों के आँकड़े कुल निवेश पर क्षेत्र निवेश की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)

बजटीय बहिर्गमन, अनुदान/सब्सिडी, प्रत्याभूति एवं ऋण

1.10 राजकीय पीएसयू के सम्बन्ध में अँश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, निर्गत प्रत्याभूतियाँ, ऋणों की माफी, ऋणों का अँश पूँजी में परिवर्तन और ब्याज की माफी का विवरण **परिशिष्ट–3** में दिया गया है। 2011–12 को समाप्त हुये तीन वर्षों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009–10		2010–11		2011–12	
		पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
1.	बजट से अंश पूँजी में बहिर्गमन	6	5146.82	6	3502.49	5	4325.50
2.	बजट से दिये गये ऋण	11	1021.96	8	113.20	1	11.85
3.	प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	14	1943.13	11	3617.53	10	3108.81
4.	**कुल बहिर्गमन (1+2+3)**	**26***	**8111.91**	**23***	**7233.22**	**15***	**7446.16**
5.	अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण	1	138.77	1	100.00	-	-
6.	निर्गत प्रत्याभूतियाँ	2	6245.25	3	10549.50	4	1194.65
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	7	7380.11	8	17718.22	6	9578.49

* यह पीएसयू की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, जिन्होनें बजटीय सहायता प्राप्त की।

1.11 अँश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के लिये विगत छः वर्षों के बजटीय बहिर्गमन का विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

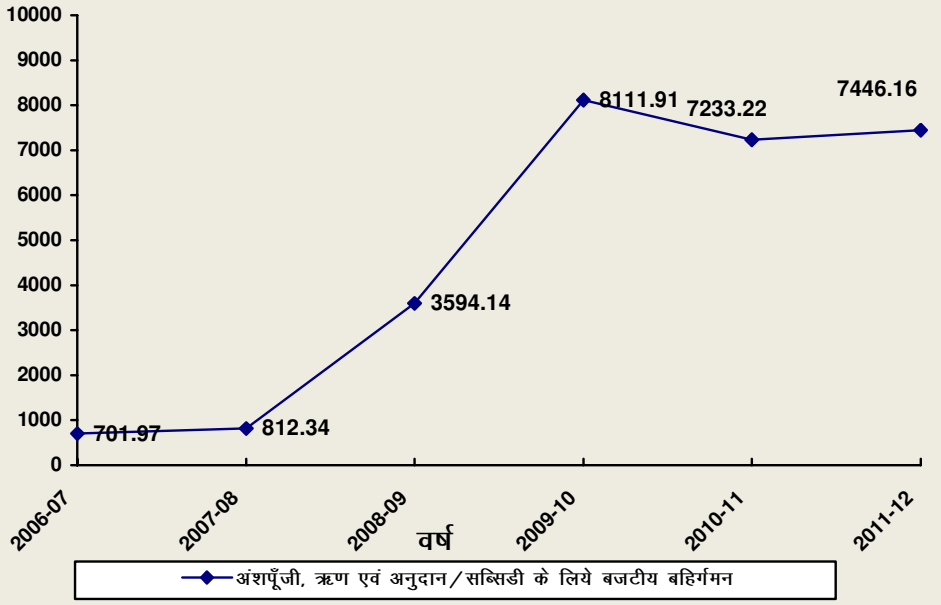

यह देखा जा सकता है कि राजकीय पीएसयू को अँश पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिये बजटीय बहिर्गमन 2006–07 से 2011–12 की अवधि के दौरान 2006–07 में न्यूनतम था। सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की पाँच कम्पनियों को अँश पूँजी (₹ 4,280.50 करोड़) तथा अनुदान/सब्सिडी (₹ 1,689.19 करोड़) के रूप में ₹ 5,969.69 करोड़ की वित्तीय सहायता देने के कारण बजटीय बहिर्गमन 2011–12 में ₹ 7,446.16 करोड़ हो गया। अदत्त प्रत्याभूति की राशि 2009–10 में ₹ 7,380.11 करोड़ से बढ़कर 2010–11 में ₹ 17,718.22 करोड़ हो गयी जो 2011–12 में घटकर ₹ 9,578.49 करोड़ हो गयी। 31 मार्च 2012 को तीन पीएसयू[∞] के द्वारा प्रत्याभूति कमीशन की देय राशि ₹ 14.46 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, दो पीएसयू[♠] ने ₹ 3.92 करोड़ के प्रत्याभूति कमीशन का भुगतान किया।

वित्तीय लेखाओं के साथ समाधान

1.12 राजकीय पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार अँश पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखाओं में दिये गये आँकड़ों से मिलने चाहिये। यदि आँकड़े नहीं मिलते हैं तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का समाधान करना चाहिये। हमने 24 पीएसयू में अन्तर पाया जिसका विवरण नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

अदत्त	वित्त लेखे के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
अंश पूँजी	32819.23	48439.44	15620.21
ऋण	1286.94	1564.32	277.38
प्रत्याभूति	17691.67	9578.49	8113.18

∞ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

♠ उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड।

हमने पाया कि 2000–01 से ही कुछ अन्तरों का समाधान नहीं हुआ था। महालेखाकार द्वारा वित्त लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के आँकड़ों के मध्य अन्तर के शीघ्र समाधान के मामले को नियमित रूप से पीएसयू के साथ उठाया गया है। सरकार तथा पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अन्तरों का समाधान करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये।

पीएसयू का कार्य सम्पादन

1.13 सभी पीएसयू के वित्तीय परिणाम **परिशिष्ट–2** में वर्णित हैं। कार्यरत सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम क्रमशः **परिशिष्ट 5** एवं **6** में वर्णित हैं। पीएसयू के टर्नओवर का राज्य के जीडीपी से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयू के कार्यकलापों की सीमा दर्शाता है। नीचे दी गयी सारिणी में 2006–07 से 2011–12 की अवधि में कार्यरत पीएसयू का टर्नओवर तथा राज्य के जीडीपी का विवरण दिया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
टर्नओवर♣	18860.47	27261.62	31480.07	35541.61	39298.30	42987.46
राज्य का जीडीपी	309834.00	344346.00	400711.00	357557.00	588466.53	687836.28
राज्य की जीडीपी पर टर्नओवर की प्रतिशतता	6.09	7.92	7.86	9.94	6.68	6.25

राज्य के जीडीपी पर टर्नओवर का प्रतिशत जो 2006–07 के दौरान 6.09 था 2009–10 में बढ़कर 9.94 हो गया परन्तु 2011–12 के दौरान घटकर 6.25 हो गया जो मुख्यतः राज्य के जीडीपी में वृद्धि के कारण था।

1.14 2006–07 से 2011–12 की अवधि में राज्य के कार्यरत पीएसयू के द्वारा वहन की गयी हानियाँ नीचे बार चार्ट में दी गयी है।

(₹ करोड़ में)

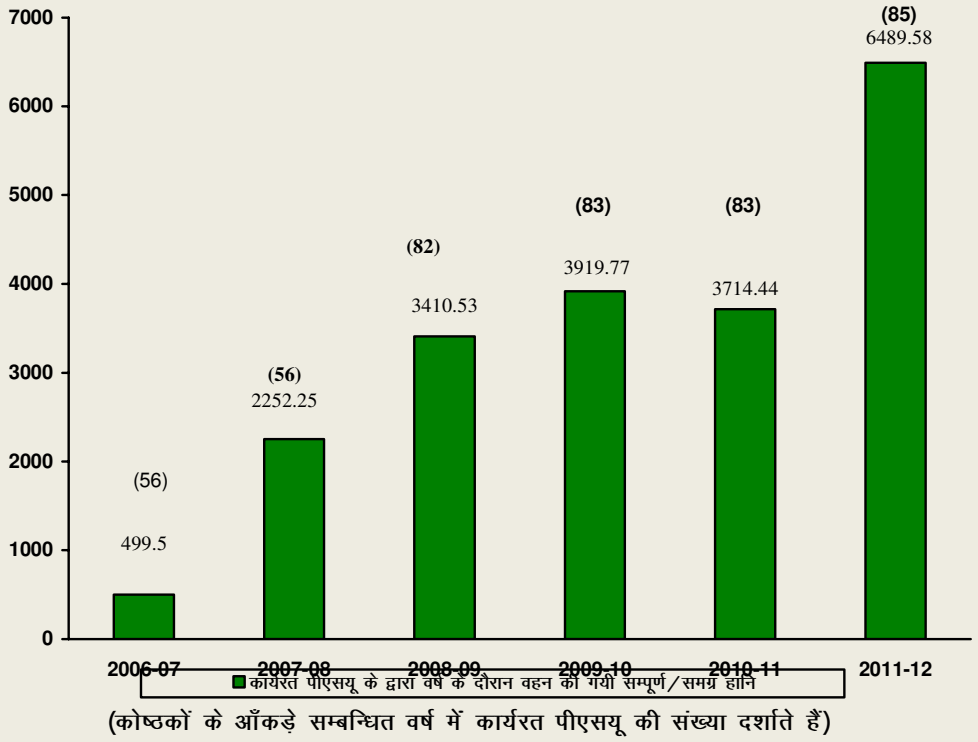

(कोष्ठकों के आँकड़े सम्बन्धित वर्ष में कार्यरत पीएसयू की संख्या दर्शाते हैं)

♣ 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार।

कार्यरत पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानि की राशि 2006–07 में ₹ 499.50 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 6,489.58 करोड़ हो गयी। वर्ष 2011–12 के दौरान, 85 कार्यरत पीएसयू में से, 32 पीएसयू ने ₹ 1,201.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया और 23 पीएसयू ने ₹ 7,691.15 करोड़ की हानि वहन की। पाँच कार्यरत पीएसयू* ने अपने प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये जबकि 25 कम्पनियाँ 'न लाभ न हानि' की स्थिति में रहीं। लाभ में योगदान करने वालों में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 358.80 करोड़), उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 225.46 करोड़), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (₹ 126.38 करोड़) और उत्तर प्रदेश वन निगम (₹ 125.17 करोड़) मुख्य थे। भारी हानि वहन करने वालों में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 3,893.55 करोड़), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,189.04 करोड़), दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,061.38 करोड़) और मध्याँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 705.99 करोड़) थे।

1.15 पीएसयू की हानियों के मुख्य कारण वित्तीय प्रबन्धन, नियोजन, परियोजनाओं को लागू करने, उनके परिचालन तथा पर्यवेक्षण में कमियाँ थे। सीएजी की अद्यतन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के कार्यरत पीएसयू ने ₹ 16,879.05 करोड़[δ] की हानि वहन की तथा ₹ 132.80 करोड़ का निवेश निष्फलित रहा जो कि सुदृढ़ प्रबन्धन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार विवरण नीचे दिये गये हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
शुद्ध हानि	3919.77	3714.44	6489.58	14123.79
सीएजी के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार नियन्त्रणीय हानि	888.01	1789.57	16879.05[δ]	19556.63
निष्फलित निवेश	2.51	9.22	132.80	144.53

1.16 सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित की गयी उपरोक्त हानियाँ पीएसयू के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित हैं। वास्तविक नियन्त्रणीय हानि इससे ज्यादा होगी। उपरोक्त सारिणी यह दर्शाती है कि बेहतर प्रबन्धन से हानि को कम किया जा सकता है। पीएसयू अपनी भूमिका दक्षतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से स्वावलम्बी हों। उपरोक्त परिस्थिति पीएसयू के कार्यकलापों में पेशेवरपन तथा जवाबदेही की आवश्यकता को इंगित करती है।

1.17 राज्य के पीएसयू से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचक निम्न हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत)	2.28	0	0	0	0	0
ऋण	9192.09	9538.97	11656.61	14380.07	25081.29	35952.78
टर्नओवर♦	18860.47	27261.62	31480.07	35541.61	39298.30	42987.46
ऋण/टर्नओवर अनुपात	0.49:1	0.35:1	0.37:1	0.40:1	0.64:1	0.84:1
ब्याज का भुगतान	1055.11	1212.39	1058.32	1187.42	1273.00	1639.70
संचित हानियाँ	12305.62	14129.45	15520.04	19024.03	22598.81	29380.10

(उपरोक्त आँकड़े समस्त पीएसयू से सम्बन्धित हैं जबकि टर्नओवर कार्यरत पीएसयू से सम्बन्धित हैं)

---

* **परिशिष्ट–2** में क्रम संख्या अ–44, अ–75, अ–76, अ–77 व अ–78।

δ ₹ 1,446.11 करोड़ मार्च 2012 तक किया गया तथा ₹ 15,432.94 करोड़ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर आगामी 25 एवं 18 वर्षों में जैसा कि प्रस्तर 3.4 एवं 3.6 में उल्लिखित है।

♦ कार्यरत पीएसयू के द्वारा 30 सितम्बर 2012 को अद्यतन अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं के अनुसार टर्नओवर।

वर्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि में ऋण और टर्नओवर का अनुपात 2006–07 में 0.49:1 से गिरकर 2011–12 में 0.84:1 हो गया। संचित हानि की राशि ₹ 12,305.62 करोड़ (2006–07) से बढ़कर ₹ 29,380.10 करोड़ (2011–12) हो गयी। निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ भी छः वर्षों की अवधि में 2006–07 को छोड़कर ऋणात्मक था।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनायी थी (अक्टूबर 2002) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा निवेशित चुकता अँश पूँजी पर पाँच प्रतिशत का न्यूनतम लाभांश देना था। 32 पीएसयू ने उनके अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1,201.57 करोड़ का लाभ अर्जित किया जबकि आठ पीएसयू* ने ₹ 3.28 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इस प्रकार, शेष लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने राज्य सरकार की न्यूनतम लाभांश नीति का अनुपालन नहीं किया।

लेखाओं के लम्बित अन्तिमीकरण

1.19 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619–बी के अनुसार कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखाओं का अन्तिमीकरण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अन्दर करना होता है। इसी प्रकार, सांविधिक निगमों के मामलों में, उनके लेखाओं का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण तथा विधायिका में प्रस्तुतीकरण उनसे सम्बन्धित विधान के अनुसार होता है। नीचे दी गयी सारिणी कार्यरत पीएसयू द्वारा 30 सितम्बर 2012 तक लेखाओं के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में की गयी प्रगति को दर्शाती है।

क्रम संख्या	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	56	60	83	83	85
2.	वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये लेखाओं की संख्या	64	46	98	59	66
3.	लम्बित लेखाओं की संख्या	180	197	182	206	234
4.	प्रत्येक पीएसयू का औसत बकाया (3/1)	3.21	3.28	2.19	2.48	2.75
5.	लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू की संख्या	49	54	52	69	81
6.	लम्बित लेखाओं की अवधि	1 से 14 वर्ष	1 से 14 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 15 वर्ष	1 से 16 वर्ष

1.20 वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान प्रति कार्यरत पीएसयू लम्बित लेखाओं की औसत संख्या 2.19 से 3.28 के मध्य थी। लम्बित लेखाओं वाले पीएसयू को लेखाओं को अद्यतन करने और बैकलॉग को दूर करने हेतु प्रभावी उपाय किये जाने की आवश्यकता है। पीएसयू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रति वर्ष कम से कम एक वर्ष के लेखाओं को अन्तिमीकृत किया जाये ताकि लम्बित लेखाओं के संकलन को रोका जा सके।

1.21 उपरोक्त के अतिरिक्त अकार्यरत पीएसयू के भी लेखाओं के अन्तिमीकरण लम्बित थे। 43 अकार्यरत पीएसयू में से 12** समापन की प्रक्रिया में थे। शेष 31 अकार्यरत पीएसयू में से सभी के लेखे एक से 37 वर्ष तक से लम्बित थे।

---

* उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड।

** **परिशिष्ट–2** का क्रम संख्या स–2, 3, 11, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 29 एवं 34.

1.22 जैसा कि **परिशिष्ट–4** में दिया गया है, राज्य सरकार ने 12 कार्यरत पीएसयू में ₹ 7,445.69 करोड़ (अँश पूँजीः ₹ 4,325.50 करोड़, ऋणः ₹ 11.85 करोड़, अनुदानः ₹ 558.50 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 2,549.84 करोड़) का निवेश उन वर्षों में किया था जिनके लेखे अन्तिमीकृत नहीं हुये थे। लेखाओं तथा उनकी पश्चातवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि निवेश एवं व्यय सही तरीके से लेखांकित किये गये थे तथा जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था वह प्राप्त हुआ या नहीं और इस प्रकार ऐसे पीएसयू में सरकार का निवेश राज्य की विधायिका के जाँच के बाहर रहा। लेखाओं के अन्तिमीकरण में इस विलम्ब के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त धोखे तथा सार्वजनिक कोष के क्षरण का जोखिम हो सकता है।

1.23 प्रशासकीय विभागों का यह दायित्व है कि वे इन इकाइयों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके लेखे निर्दिष्ट समय–सीमा में अन्तिमीकृत और अंगीकृत कर लिये जायें। महालेखाकार द्वारा लेखाओं के बकाया की स्थिति को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के संज्ञान में लाया गया था। तथापि, कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप इन पीएसयू के नेट वर्थ का मूल्याँकन लेखापरीक्षा में नहीं किया जा सका। मुख्य सचिव/वित्त सचिव के भी संज्ञान में लेखाओं के बकाया होने, समयबद्ध रूप से लेखाओं के बकाये के बैकलॉग दूर करने हेतु विशेष जोर दिये जाने, लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने की आवश्यकता को लाया गया था।

वार्षिक प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की वस्तुस्थिति

1.24 भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619ए(3) के अनुसार, जहाँ राज्य सरकार किसी कम्पनी की सदस्य है, राज्य सरकार, कम्पनी की कार्य प्रणालियों एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन उस वार्षिक साधारण सभा जिसमें लेखों को अंगीकृत किया गया हो, के तीन माह के भीतर विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। विधान मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विधान मण्डल को इन कम्पनियों के क्रियाकलापों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है जिसमें राज्य सरकार एक मुख्य अँशधारक है।

हमने पाया कि 22 कम्पनियों ने पिछले पाँच वर्षों में विधान मण्डल के सम्मुख अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की अनुपूरक टिप्पणियों को सम्मिलित करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

अकार्यरत पीएसयू का समापन

1.25 31 मार्च 2012 को 43 अकार्यरत पीएसयू थे (40 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन डीम्ड सरकारी कम्पनियाँ)। इनमें से 12 पीएसयू समापन की प्रक्रिया में थे। पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत पीएसयू की संख्या नीचे दी गयी है।

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अकार्यरत पीएसयू की संख्या	43	43	43	40	43

अकार्यरत पीएसयू को बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके बने रहने से किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। वर्ष 2011–12 की अवधि में पाँच♥ अकार्यरत पीएसयू ने स्थापना व्यय पर ₹ 4.58 करोड़ व्यय किये।

♥ 43 अकार्यरत पीएसयू में से केवल पाँच पीएसयू (उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेडः ₹ 8.45 लाख, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेडः ₹ 8.50 लाख, उत्तर प्रदेश बुंदेलखण्ड विकास निगम लिमिटेड ₹ 20.41 लाख, घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड ₹ 394.30 लाख, एवं वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड ₹ 26.00 लाख) ने सूचना उपलब्ध करायी।

1.26 अकार्यरत पीएसयू की बन्दी के चरण नीचे दिये गये हैं।

क्रम संख्या	विवरण	कम्पनियाँ
1.	अकार्यरत पीएसयू की कुल संख्या	43
2.	उपरोक्त (1) में से:	
(अ)	न्यायालय द्वारा समापन (समापक नियुक्त)	12
(ब)	ऐच्छिक समापन (समापक नियुक्त)	-
(स)	बन्द अर्थात बन्द करने के आदेश/निर्देश पारित परन्तु समापन प्रक्रिया अभी प्रारम्भ नहीं	31

1.27 वर्ष 2011–12 के दौरान, किसी भी कम्पनी का अन्तिम समापन नहीं हुआ था। जिन कम्पनियों ने न्यायालय द्वारा समापन के मार्ग को अपनाया वे 8 से 35 वर्षों से समापन प्रक्रिया में हैं। कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया ज्यादा त्वरित है तथा इसे अपनाने/अनुगमन करने की आवश्यकता है। सरकार 31 अकार्यरत पीएसयू, जिनके अकार्यरत होने के बाद चालू रहने या ना रहने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, के समापन के सम्बन्ध में निर्णय ले सकती है। सरकार अकार्यरत कम्पनियों के समापन को त्वरित करने हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने हेतु विचार कर सकती है।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.28 वर्ष 2011–12[∞] में 50 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 60 संप्रेक्षित लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से 31 कम्पनियों के 35 लेखे[♣] अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये। सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रख रखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता को इंगित करती हैं। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

(धनराशि: ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009–10		2010–11		2011–12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	15	352.49	14	160.90	15	107.12
2.	हानि में वृद्धि	4	2.05	11	543.59	5	2165.60
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	2	2.04	-	-	3	12.92
4.	वर्गीकरण की गलतियाँ	2	32.46	4	40.28	5	7.42
	योग		**389.04**		**744.77**		**2293.06**

सभी टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य 2010–11 में ₹ 744.77 करोड़ से बढ़कर 2011–12 में ₹ 2,293.06 करोड़ हो गया जो पीएसयू के लेखाओं की गुणवत्ता में गिरावट को इंगित करता है।

1.29 वर्ष के दौरान, 50 कम्पनियों द्वारा अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं पर सांविधिक अंकेक्षकों ने नौ लेखाओं पर अनक्वालिफाईड प्रमाणपत्र, 47 लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाणपत्र, एक कम्पनी[♦] के तीन लेखाओं पर एडवर्स प्रमाण पत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे सत्य एवं वास्तविक स्थिति नहीं दर्शाते हैं) तथा एक लेखे पर डिस्क्लेमर (जिसका अर्थ है कि अंकेक्षक लेखाओं पर कोई विचार नहीं बना सका) दिया। कम्पनियों द्वारा

[∞] अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012।
[♣] 22 कम्पनियों के 25 लेखाओं पर असमीक्षा प्रमाणपत्र (नान रिव्यू सर्टीफिकेट) जारी किया गया।
[♦] उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड।

लेखांकन मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 26 लेखाओं में लेखांकन मानकों के उल्लंघन सम्बन्धी 109 दृष्टान्त पाये गये।

1.30 कम्पनियों के वर्ष 2011–12 के दौरान अन्तिमीकृत लेखाओं के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गयी हैं:

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड (2009–10, पुनरीक्षित लेखे)

- अनुसूची XII में वर्णित लेखांकन नीति {संख्या 1(ए)(एफ)} ''वर्तमान वर्ष को सम्मिलित करते हुए पाँच वर्ष पूर्व के न वसूल हुए विक्रय के 50 प्रतिशत (उन पूर्व वर्षों को छोड़कर जिन वर्षों में प्रावधान किया जा चुका है तथा उनमें से 50 प्रतिशत का अपलेखन किया जा चुका है) का अपलेखन प्रत्येक वर्ष किया जायेगा क्योंकि यह बकाया, वसूली योग्य नहीं है'' सही नहीं है क्योंकि बिना किसी सही विश्लेषण एवं वसूली कार्यवाही के, बकाया का अपलेखन प्रतिशतता के आधार पर करना, कम्पनी के वित्तीय हित में नहीं था।

  अतः, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के बकाये के विरुद्ध ₹ 132.44 करोड़ का अपलेखन करने के परिणामस्वरूप विविध देनदार ₹ 132.44 करोड़ से कम तथा संचित हानियाँ ₹ 124.36 करोड़ से एवं वर्ष की हानि (पूर्व अवधि समायोजन से पूर्व) ₹ 8.08 करोड़ से अधिक दर्शाई गईं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2010–11)

- राज्य सरकार ने निर्देशित किया था (14 नवम्बर 2011) कि कम्पनी, उसके द्वारा राज्य सरकार को देय ₹ 219.09 करोड़ के ऋण में से राज्य सरकार द्वारा कम्पनी की देय ₹ 154.71 करोड़ के ऋण को समायोजित करते हुए शेष ₹ 64.38 करोड़ की राशि को अँश पूँजी में परिवर्तित कर ले। कम्पनी ने न तो इस सम्बन्ध में लेखाओं में आवश्यक समायोजन किया न ही इस तथ्य को 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में दर्शाया।

- राज्य सरकार ने उपरोक्त ऋणों पर ब्याज की राशि ₹ 77.81 करोड को माफ करने का निर्णय लिया (नवम्बर 2011)। कम्पनी ने न तो ब्याज की राशि को वापस लेखे में लिया और न ही इस तथ्य को 'लेखे पर टिप्पणियाँ' में दर्शाया।

पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2008–09, पुनरीक्षित)

- चालू सम्पत्तियों में ₹ 25.32 करोड़ की जाँच हेतु लम्बित चोरी हुई सम्पत्तियाँ शामिल थी। कम्पनी ने इसके सापेक्ष ₹ 2.52 करोड़ जो कि चोरी हुई सम्पत्तियों का 10 प्रतिशत था, का प्रावधान किया। चूँकि ज्यादातर चोरी हुई सम्पत्तियाँ काफी पुरानी हैं और उनकी वसूली की सम्भावना काफी कम है, अतः चोरी हुई सम्पत्तियों पर 100 प्रतिशत प्रावधान लेखे में किया जाना चाहिए। कम प्रावधान करने के कारण चालू सम्पत्तियाँ ₹ 22.80 करोड़ से अधिक एवं वर्ष की हानि ₹ 22.80 करोड़ से कम दर्शाई गई।

अंकेक्षण टिप्पणियों का पुनरीक्षित लेखाओं पर प्रभाव

- 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के मूल लेखे 10 जनवरी 2012 को प्राप्त हुए तथा ड्राफ्ट टिप्पणियाँ सांविधिक अंकेक्षकों एवं प्रबन्धन को निर्गत किये गये। कम्पनी ने आवश्यक सुधार/परिवर्तन करते हुए पुनरीक्षित लेखे 17 अगस्त 2012 को दिये। हमारी मूल लेखे पर की गई ड्राफ्ट टिप्पणियों के आधार पर, हानि ₹ 22.34 करोड़ से, सम्पत्तियाँ ₹ 0.32 करोड़ से एवं दायित्व ₹ 22.66 करोड़ से कम दर्शित थे।

दक्षिणाँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (2008–09, पुनरीक्षित)

- कम्पनी की ह्रास चार्ज करने सम्बंधी लेखांकन नीति संख्या 3(बी), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसूची VI के विरुद्ध है।

अतः, कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अनुसार वर्ष के दौरान वृद्धि हुई सम्पत्तियों पर ह्रास की गणना न करने के फलस्वरूप ह्रास ₹ 27.60 करोड़ से कम एवं स्थायी सम्पत्तियाँ ₹ 27.60 करोड़ (छः माह के औसत के आधार पर संगणित) से अधिक दर्शित थे ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (2007–08)

- डिस्काम्स (विद्युत वितरण कम्पनियाँ) की संचित हानियों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने ₹ 2,740.73 करोड़ का प्रावधान विनियोग में क्षय के विरुद्ध किया था। विनियोग में क्षय के विरुद्ध प्रावधान करते समय 31 मार्च 2008 तक इन डिस्काम्स में जमा (मध्यॉंचल विद्युत वितरण कम्पनी निगम लिमिटेड को छोड़कर) अंश आवेदन राशि की समस्त राशि को ध्यान में नहीं रखा क्योंकि इन डिस्काम्स के 2007–08 तक के ही लेखे प्रमाणित हुए थे। अतः, अँश आवेदन राशि को संज्ञान में लेते हुए, विनियोग में क्षय की राशि ₹ 5,283.34 करोड़ होती है जिसके विरुद्ध 31 मार्च 2008 तक कम्पनी ने कुल ₹ 3,108.96 करोड़ का प्रावधान कर रखा था जिसके परिणामस्वरूप विनियोग में क्षय के विरूद्ध प्रावधान एवं वर्ष की हानि ₹ 2,174.38 करोड़ से कम दर्शित थे।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (2009–10)

- कम्पनी के लेखांकन नीति के अनुसार, कम्पनी के कर्मचारियों का ग्रेच्युटी दायित्व भारतीय बीमा निगम की पॉलिसी से आच्छादित था। इसके विरुद्ध देय प्रीमियम लाभ–हानि खाते में भारित किया जाता था। सीलिंग लिमिट ₹ 10 लाख तक बढ़ जाने के कारण, एलआईसी ने वर्ष 2009–10 तक के प्रीमियम के लिए ₹ 15.63 करोड़ की माँग की। हालाँकि, कम्पनी ने केवल ₹ 5.54 करोड़ लाभ–हानि खाते में भारित किया। इसके परिणामस्वरूप प्रावधान एवं वर्ष का लाभ ₹ 10.09 करोड़ से क्रमशः कम एवं ज्यादा दर्शित थे।

1.31 इसी प्रकार, 2011–12* के दौरान छः कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने छः लेखे महालेखाकार को प्रेषित किये। इनमें से चार सांविधिक निगमों के चार लेखे सीएजी द्वारा एकल लेखापरीक्षा से सम्बन्धित थे, जिनमे से केवल दो लेखे की लेखापरीक्षा पूर्ण हो सकी थी तथा अन्य दो लेखे लेखापरीक्षा प्रक्रिया में थे (सितम्बर 2012)। शेष दो सांविधिक निगमों के दो लेखे अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चुने गये थे जिनमें से एक लेखे की लेखापरीक्षा पूर्ण हो गयी थी तथा एक लेखे की लेखापरीक्षा प्रक्रिया में थी (सितम्बर 2012)। सांविधिक अंकेक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा हमारी एकल/अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के रखरखाव की गुणवत्ता में वृहद् सुधार की आवश्यकता इंगित करती है। सांविधिक अंकेक्षकों तथा सीएजी के टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य की विवरणी नीचे दी गयी है।

(धनराशि: ₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.68	1	3.90	2	13.98
2.	हानि में वृद्धि	--	--	2	59.37	1	87.84

वर्ष के दौरान प्राप्त हुए छः लेखाओं में से, तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा की गयी थी तथा दो लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे तथा एक लेखे पर एडवर्स प्रमाण पत्र तथा शेष तीन लेखाओं की लेखापरीक्षा अन्तिमीकरण की प्रक्रिया में थे (सितम्बर 2012)। वर्ष के दौरान, सांविधिक अंकेक्षकों ने दो लेखाओं पर क्वालिफाईड प्रमाण पत्र दिया।

1.32 एक सांविधिक निगम के वर्ष 2011–12 के दौरान अन्तिमीकृत लेखों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी निम्नवत है:

* अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012।

उत्तर प्रदेश वन निगम (2010–11)

- निगम की नीति के अनुसार, एलआईसी को 'ग्रुप ग्रेच्युटी कैश एकुमुलेशन स्कीम' के तहत देय प्रीमियम की राशि का लेखांकन उपार्जित (एक्रूअल) आधार पर होता है। प्रीमियम के वार्षिक नवीनीकरण की तिथि प्रत्येक वर्ष एक मार्च को होती है। वर्ष 2010–11 में एलआईसी को देय प्रीमियम की माँग को ध्यान में रखते हुए ₹ 9.63 करोड़ के विरुद्ध निगम ने केवल ₹ 5.37 करोड़ का प्रावधान किया। इसके परिणामस्वरूप स्टाफ ग्रेच्युटी एवं वर्ष का लाभ ₹ 4.26 करोड़ से क्रमशः कम एवं अधिक दर्शित थे।

1.33 सांविधिक अंकेक्षकों (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स) को सीएजी के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (अ) के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों के अनुसार किए गए लेखापरीक्षा के बाद अंकेक्षित कम्पनियों में आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा सहित विभिन्न पक्षों पर विस्तृत प्रतिवेदन देना होता है तथा सुधार योग्य क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना होता है। सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा/आन्तरिक नियन्त्रण पर महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनमे अनुशंसा की गयी	परिशिष्ट–2 में कम्पनियों की क्रम संख्या का संदर्भ
1.	स्कन्ध एवं भण्डार की न्यूनतम/अधिकतम सीमा तय न करना	16	अ–5,13,14,15,17,24,25,29, 35,40,41,68,70 एवं स–14.17.19
2.	कम्पनी के व्यवसाय के अनुरूप आन्तरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था का अभाव	25	अ–2,5,8,10,12,14,17,25,35, 41,46,47,49,51,53,60,61,63, 65,67,68,70 एव स-8,19,41
3.	लागत लेखाओं के अभिलेखों का रख–रखाव न करना	09	अ-5,10,14,17,29,35,40,41 एवं स–17
4.	अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण जैसेः परिमाणात्मक विवरण, परिस्थिति, पहचान संख्या, क्रय की तिथि, ह्रासित मूल्य तथा उनकी स्थिति को दर्शाते अभिलेखों का रख–रखाव न करना	15	अ-5,12,17,23,25,29,35,40,41, 70 एवं स-10,14,17,19,41

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर वसूली

1.34 वर्ष 2011–12 में औचित्य लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न पीएसयू के प्रबन्धन को ₹ 288.17 करोड़ की वसूली हेतु मामले प्रकट किये गये थे, जिनमे से ₹ 128.16 करोड़ के मामले प्रबन्धन द्वारा स्वीकार किये गये तथा पीएसयू द्वारा ₹ 15.42 करोड़♣ की वसूली की गयी थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की स्थिति

1.35 निम्न तालिका सांविधिक निगमों के लेखाओं पर हमारे द्वारा निर्गत विभिन्न पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को सरकार द्वारा विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की स्थिति को दर्शाती है।

क्रम संख्या	सांविधिक निगम का नाम	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका में रखी गयी	वर्ष जहाँ तक एसएआर विधायिका के समक्ष नहीं रखी गयी		एसएआर को विधायिका के समक्ष न रखने के कारण
			एसएआर का वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि	
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2009–10	2010–11	11 जुलाई 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

♣ पू.वि.नि.लि.: ₹ 1.09 करोड़, द.वि.नि.लि.: ₹ 39.99 लाख एवं यू.पी.पी.सी.एल.: ₹ 13.93 करोड़।

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2007–08	2008–09 2009–10 2010–11	20 मई 2011 13 अप्रेल 2012 27 अगस्त 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
3.	उत्तर प्रदेश वन निगम♥	--	2008–09 2009–10 2010–11	09 मार्च 2011 16 नवम्बर 2011 21 सितम्बर 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
4.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2002–03	2003–04 2004–05 2005–06 2006–07 2007–08 2008–09 2009–10	08 फरवरी 2008 13 जुलाई 2010 08 फरवरी 2011 25 अप्रैल 2011 01 जुलाई 2011 28 दिसम्बर 2011 18 जुलाई 2012	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
5.	उत्तर प्रदेश जल निगम	2006–07	2007–08 2008–09	11 अक्टूबर 2010 03 अगस्त 2011	निगम द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।

एसएआर को विलम्ब से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने से सांविधिक निगमों पर विधायी नियंत्रण कमजोर होता है एवं सांविधिक निगमों की जवाबदेही मन्द पड़ जाती है। शासन को एसएआर के विधायिका के समक्ष त्वरित प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना चाहिये।

विनिवेश, निजीकरण एवं पीएसयू की पुर्नसंरचना

1.36 राज्य सरकार द्वारा बनाई गई (जून 1994) निजीकरण/विनिवेश की नीति में ऐसे सभी उपक्रमों (सामाजिक एवं जनकल्याण गतिविधियों एवं जनसुविधाओं में संलिप्त को छोड़कर) की समीक्षा किये जाने का प्राविधान था जिनकी वार्षिक हानि ₹ 10 करोड़ से अधिक थी और जिनके नेट वर्थ का 50 प्रतिशत या अधिक का क्षरण हो चुका हो।

निजीकरण/विनिवेश/बीआईएफआर को संदर्भित करने के प्रकरणों की समीक्षा एवं विनिश्चय करने हेतु एवं अन्य विकल्पों यथा आंशिक निजीकरण, निजी उद्यमियों द्वारा प्रबन्धन, निजी उद्यमियों को पट्टे पर देना आदि की अनुशंसा करने हेतु एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की गई (दिसम्बर 1995)। ईसी की अनुशंसायें लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गईं। ईसी की अनुशंसा पर राज्य विनिवेश आयोग (डीसी) तथा केन्द्रीय समिति (सीसी) गठित (जनवरी 2000) किये गये। पीएसयू के कार्यसंचालन में सुधार, संविलियन, पुनर्गठन, निजीकरण या बन्दी से सम्बन्धित प्रकरणों को डीसी को संदर्भित करने का कार्य सीसी को सौंपा गया था। इस सम्भावना पर विचार किया गया था कि डीसी अपनी अनुशंसायें सीसी को अग्रेषित करेगा।

राज्य के पीएसयू के विनिवेश हेतु अप्रैल 2003 में एक उच्च अधिकार प्राप्त विनिवेश समिति (एचपीडीसी) भी गठित की गई।

उत्तर प्रदेश में विनिवेश हेतु उत्तर प्रदेश शासन ने परामर्शदाता/सलाहकार, सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं हेतु विकासकर्ताओं तथा निजी भागीदारों के चयन के लिये दिशा–निर्देश निर्गत (जून 2007) किये थे। दिशानिर्देशों में विभिन्न समितियों की संरचना किये जाने, विनिवेश हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, प्रमुख सलाहकार, कानूनी सलाहकार, लेखांकन सलाहकारों, परिसम्पत्ति मूल्याँकनकर्ताओं की नियुक्ति एवं कार्य, बोली हेतु अपनाई जाने वाली क्रियाविधि और उपक्रम के मूल्याँकन की क्रियाविधियों का प्राविधान है।

जून 2007 में, शासन ने सभी सहायक कम्पनियों सहित उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड (यू.पी.एस.एस.सी.एल.) की चीनी मिलों के निजीकरण/विक्रय का निश्चय किया और यू.पी.एस.एस.सी.एल. को चीनी मिलों के निजीकरण/विक्रय हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

♥ उत्तर प्रदेश वन निगम ने उत्तर प्रदेश फारेस्ट कारपोरेशन एक्ट, 1974 में आवश्यक संशोधन के पश्चात् वर्ष 2008–09 के लेखे प्रस्तुत किये।

यू.पी.एस.एस.सी.एल. की दस मिलों और उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की 11 मिलों के विक्रय को क्रमशः जुलाई 2010–अक्टूबर 2010 तथा जनवरी 2011–मार्च 2011 में अंतिम रूप दिया गया। इन चीनी मिलों के विक्रय पर लेखापरीक्षा प्रेक्षण, 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के एक पृथक प्रतिवेदन में सम्मिलित है।